न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 54/2017
अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. कालूराम आत्मज श्री लालचन्द, जाट, शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. अनिलकुमार आत्मज श्री दलीपकुमार, जाट, शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....वादीगण

बनाम

1. लालचन्द आत्मज श्री मामराज, जाट, शिवपुर फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति–	श्री बलराम स्वामी	(वादीगण)
	श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़	(प्रतिवादी–1)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–2)

दिनांक 12 फरवरी, 2018

– आदेश –

वादपत्र के अनुसार चक 1 एफ बड़ा तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25(0.228), मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 18 से 24 कुल 1.745 हैक्टर कृषि भूमि (जिसे निर्णय के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के दादा श्री लालचन्द के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. प्रश्नगत कृषि भूमि मूल रूप से श्री मूलाराम आत्मज श्री खुमानाराम, जाट की थी जिसकी मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त हुई है. इस प्रकार वादीगण उक्त कृषि भूमि में श्री लालचन्द प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त करने के अधिकारी हैं क्योंकि श्री मूलाराम की मृत्योपरान्त श्री लालचन्द को प्रश्नगत कृषि भूमि निहित हुई वह पैतृक सम्पत्ति है. तथा पैतृक सम्पत्ति में वादीगण का हिस्सा स्वतः ही निहित हो गया. इसलिये वादीगण वादपत्र प्रस्तुत करने के अधिकारी है. वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के दादा के नाम की एवं पैतृक सम्पत्ति चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 6, किला नम्बर 7, किला नम्बर 8(0.126) एवं मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.050), किला नम्बर 6(0.152), किला नम्बर 15(0.253) हैक्टर भूमि भी प्रतिवादी संख्या 1 को निहित हुई. जो राजस्व अभिलेखों में अभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त परिवार से सम्बद्व है और परिवार की शान्ति के लिये आपस में पारिवारिक समझौता द्वारा विभाजन किया गया जिसके अनुसार वादी संख्या 1 श्री कालूराम आत्मज श्री लालचन्द को चक नम्बर 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 21 से 23, वादी संख्या 2 श्री अनिलकुमार आत्मज श्री दलीपकुमार आत्मज

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

54/17

A2/4

श्री लालचन्द को चक नम्बर 1 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 18 से 20 एवं किला नम्बर 24 कृषि भूमि प्राप्त करेगा जिसकी एवज में प्रतिवादी संख्या 1 श्री लालचन्द को चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 6, 7 एवं किला नम्बर 8(0.126) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.050) किला नम्बर 15(0.253) हैक्टर भूमि प्राप्त हुई. वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा संयुक्त रूप से परस्पर सहमति दी कि संयुक्त खाता में जो किला नम्बर 21 में टयूबवैल लगा है, वादीगण बराबर का हिस्सेदार रहेगा, बराबर ही उसका उपयोग एवं उपभोग कर सकेंगे व इसी अनुसार किला नम्बर 20(0.013) हैक्टर का रास्ता वादी संख्या 1 प्राप्त करेगा. जिसकी एवज में वादी संख्या 2 को वादी संख्या 1 क्षतिपूर्ति स्वरूप कृषि भूमि या डी.एल.सी. दरों से नगद भुगतान करेगा. वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से पारिवारिक विभाजन के अनुसार अपने अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने हेतु कई बार कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा टालमटोल करते हुऐ दिनांक 27 मई, 2017 को कतई इन्कार हो गया. यही वादहेतुक उपलब्ध है. इस प्रकार वादीगण द्वारा वादी संख्या 1 श्री कालूराम आत्मज श्री लालचन्द को चक नम्बर 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 21 से 23 कुल 4.00 बीघा, वादी संख्या 2 श्री अनिलकुमार आत्मज श्री दलीपकुमार आत्मज श्री लालचन्द को चक नम्बर 1 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 18 से 20 एवं किला नम्बर 24 कुल 4.00 बीघा कृषि भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 श्री लालचन्द को चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 6, 7 एवं किला नम्बर 8(0.126) हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.050) किला नम्बर 6(0.152) किला नम्बर 15(0.253) हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 एफ बड़ा की जमाबन्दी सम्बत् 2068–2071, चक 4 ई बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, खतौनी बन्दोबस्त मौजा 1 एफ बड़ा सम्बत् 2026–2035 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 20 जून, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादपत्र के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुऐ वादपत्र डिक्री करने पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 21 जून, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3 एवं 5 को सिद्व करने का भार वादीगण पर होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये.

वादपत्र के तथ्यों के निर्धारण के लिये निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया–

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/5

1. क्या चक 1 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25(0.228), मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 18 से 24 कुल 1.745 हैक्टर कृषि भूमि, जो श्री मूलाराम आत्मज श्री खुमानाराम जाट की थी, तथा मूलाराम की मृत्योपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त करने का अधिकारी है? **...वादीगण**

2. क्या वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के दादा के नाम पर चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 6(0.253), किला नम्बर 7(0.253), किला नम्बर 8(0.126), मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.50), किला नम्बर 6(0.152), किला नम्बर 15(0.253), अन्य पैतृक सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 को निहित हुई जो प्रतवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है? **...वादीगण**

3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा के अनुसार विभाजन किया गया? जिसके अनुसार ही पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज चले आकर लगान का भुगतान कर रहे है तथा पानी की पर्चियां उनके नाम से बनी हैं? **...वादीगण**

4. क्या वादीगण पारिवारिक राजीनामा एवं विभाजन के अनुरूप विभाजन की डिकी प्राप्त कर राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवाने के अधिकारी है? **...वादीगण**

5. अनुतोष?

विवाद्यकों के निर्धारण हेतु साक्ष्य वादी के लिये श्री अनिलकुमान एवं श्री संजयपाल द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जिनकी बाबत प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री लालचन्द द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावाली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 1 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25(0.228), मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 18 से 24 कुल 1.745 हैक्टर कृषि भूमि, जो श्री मूलाराम आत्मज श्री खुमानाराम जाट की थी, तथा मूलाराम की मृत्योपरान्त

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

54/17

92/6

प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर बराबर प्राप्त करने का अधिकारी है? ...**वादीगण**

वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत चक 1 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2031–2034, खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) सम्बत् 2030–2031, चक 4 ई बडी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार चक 1 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25(0. 228), मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 18 से 24 कुल 1.745 हैक्टर कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 को विरासतन प्राप्त पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक वंशावली के अनुसार वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हिस्सेदार हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या वादी संख्या 1 के पिता एवं वादी संख्या 2 के दादा के नाम पर चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 6(0.253), किला नम्बर 7(0.253), किला नम्बर 8(0.126), मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.50), किला नम्बर 6(0.152), किला नम्बर 15(0.253), अन्य पैतृक सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 को निहित हुई जो प्रतवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है? ...**वादीगण**

वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत चक 1 एफ बड़ा के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2031–2034, खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) सम्बत् 2030–2031, चक 4 ई बडी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 के अनुसार चक 1 एफ. बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25(0. 228), मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 18 से 24 कुल 1.745 हैक्टर कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 को विरासतन प्राप्त पैतृक सम्पत्ति है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा के अनुसार विभाजन किया गया? जिसके अनुसार ही पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज चले आकर लगान का भुगतान कर रहे है तथा पानी की पर्चियां उनके नाम से बनी हैं? ...**वादीगण**

वादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त हिन्दु परिवार होने से पारिवारिक समझोता के अनुसार वादी संख्या 1 को चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 21 से 23, वादी संख्या 2 को चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

नम्बर 44 किला नम्बर 18 से 20 एवं 24 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 6, किला नम्बर 7, किला नम्बर 8(0.126) एवं मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.050), किला नम्बर 16(0.152) एवं किला नम्बर 15(0.253) कृषि भूमि प्राप्त हुई. अतिरिक्त, किला नम्बर 21 में टयूबवैल स्थापित है जिसके वादीगण बहिस्सा बराबर बराबर हकदार रहेंगे. इन्हीं तथ्यों को साक्षी प्रतिवादी श्री लालचन्द द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में समर्थित किया गया है जिससे वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह नहीं की गयी. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा के अनुसार विभाजन किया गया जिसके अनुसार ही पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या वादीगण पारिवारिक राजीनामा एवं विभाजन के अनुरूप विभाजन की डिक्री प्राप्त कर राजस्व अभिलेखो में दर्ज करवाने के अधिकारी है? **...वादीगण**

वादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित किया गया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त हिन्दु परिवार होने से पारिवारिक समझोता के अनुसार वादी संख्या 1 को चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 21 से 23, वादी संख्या 2 को चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 18 से 20 एवं 24 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 6, किला नम्बर 7, किला नम्बर 8(0.126) एवं मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.050), किला नम्बर 16(0.152) एवं किला नम्बर 15(0.253) कृषि भूमि प्राप्त हुई. अतिरिक्त, किला नम्बर 21 में टयूबवैल स्थापित है जिसके वादीगण बहिस्सा बराबर बराबर हकदार रहेंगे. इस प्रकार पारिवारिक राजीनामा एवं विभाजन के अनुरूप पक्षकारान अपने अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 भी वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार पारिवारिक राजीनामा एवं समझौता के अनुसार वादी संख्या 1 श्री कालूराम चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 21 से 23, वादी संख्या 2 श्री अनिलकुमार चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 18 से 20 एवं 24 एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री लालचन्द चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

54/17

A2
8

नम्बर 6, किला नम्बर 7, किला नम्बर 8(0.126) एवं मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.050), किला नम्बर 16(0.152) एवं किला नम्बर 15(0.253) कृषि भूमि प्राप्त हुई. अतिरिक्त, किला नम्बर 21 में टयूबवैल स्थापित है जिसके वादीगण बहिस्सा बराबर बराबर हकदार रहेंगे. की खातेदारी घोषणा करवाकर अपने अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी हैं.

।। निर्णय ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा पारिवारिक राजीनामा एवं समझौता के अनुसार **वादी संख्या 1 श्री कालूराम को** – चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 43 किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 21 से 23, **वादी संख्या 2 श्री अनिलकुमार को** – चक 1 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 44 किला नम्बर 18 से 20 एवं 24 एवं **प्रतिवादी संख्या 1 श्री लालचन्द को** – चक 4 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 6, किला नम्बर 7, किला नम्बर 8(0.126) एवं मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 16(0.050), किला नम्बर 16(0.152) एवं किला नम्बर 15(0.253) कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 12 फरवरी, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.